PWD

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक– 1107 /13सी0 दिनांक 31-08 –2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/67235/2021)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/119/2021/एफ.सी./984 दिनांक 20–10–2023 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत हैः–

क्र. स.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 10.35 है0 सिविल सोयरम भूमि ग्राम रिंगू मुनस्यारी, खसरा सं0– 61, 12, 116, 125, 126, 164, 187, 199, 215, 218, 234, 235 ,237, 245, 257, 267, 268, 270, 295, 298, 300, 301, 303, 309, 318, 319, 321, 327, तथा 328 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Gudeline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (घ) प्रत्यार्वित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(क) प्रस्तावित स्थल के आस–पास क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लांटेशन किया जायेगा। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि को वनविभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न) (ग) शर्त मान्य है। (घ) शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त संख्या –3 (क) अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा क़ी गई है।(छाया प्रति संलग्न)

5	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 –एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.175 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विषेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न) प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वनभूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोप प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्तरित /जमा किए जाएगें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
9	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
10	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
11	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
13	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावंर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	शर्त मान्य है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।
15	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिषानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर आहरित शर्ते लागू होगी।	निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।

19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
20	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक 1107 /13सी0 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊॅं वृत्त अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

E:\Amin\Latter Vanbhumi.doc

सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/119/2021/एफ.सी./९८५ दिनांकः20/10/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – पिथौरागढ़ के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचुला के दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/67235/2021)

सन्दर्भः कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1393/FP/UK/ROAD/67235/2021 दिनांक 06-12-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 30.09.2022 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरांत केन्द्र सरकार– **जनपद – पिथौरागढ़ के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचुला के दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**

   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 10.35 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम रिंगू मुनस्यारी, खसरा सं0– 61, 12, 116, 125, 126, 164, 187, 199, 215, 218, 234, 235, 237, 245, 257, 267, 268, 270, 295, 298, 300, 301, 303, 309, 318, 319, 321, 327 तथा 328 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पच्यात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

(घ) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **5.175** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेगे।
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
10. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
19. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
20. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
21. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 2372 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 08– नवम्बर, 2023।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग निर्माण हेतु 5.175 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति पश्चात डिमाण्ड नोट निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी. पी./06/119/2021/एफ.सी./984 दिनांक 20.10.2023।

उपरोक्त संदर्भित उत्तराखण्ड शासन के आदेश पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 व 05 के कम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा किये जाने योग्य कुल धनराशि
1	एन0पी0वी0	5.175 हे0	1005210/– (ईको क्लास–V) घनत्व 0.2	5201961.75 या 5201962.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण	10.35हे0	4,48,791/–	4644986.85 या 4644987.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

फार्म म० प० क० 11 (21) फसली 1412

1	2	3	4	5	6	
	व०क० आर ओरेन्ट नं०	रु०	112	0.003	रु०	पै०
			116	0.003		
			125	0.006		
			126	0.114		
			163	0.005		
			164	1.504		
			187	0.026		
			188	0.028		
			199	0.612		
			215	0.005		
			218	0.040		
			234	0.011		
			235	0.499		
			237	0.003		
			245	0.277		
			251	0.116		
			267	1.123		
			268	1.097		
			270	0.912		
			295	0.063		
			296	0.016		
			297	0.003		
			298	0.008		
			299	0.003		
			300	0.019		
			301	0.006		
			302	0.008		
			303	0.096		
			309	0.009		
			x.x	x.x		

7–13:

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के
सत्यापित निर्गत पत्र सं०-8बी०/उ०सी०/06/119/2021/ रफा सी० 1904 दिनांक
20.10.2023 के क्रम में - राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश
सं०-2173/XVIII(I)/2012-18(120)/2010 दि० 17.12.2012 के क्रम में कार्यालय
जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्र सं० 1161/सात-17/2023-24
दिनांक मार्च, 30, 2024 के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला
के दोबाट-चौधी हल्का वाहन मार्ग निर्माण में आ रही 5.175 हे० वन भूमि के
बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गिरगांव पट्टी अस्कोट तह० मुनस्यारी
के गैर ज०वि० खाता सं० 61 श्रेणी-6(3)(ङ) बंजर काबिल आबाद के खेत
नं० 112 रकबा 0.003 हे०, 116 रकबा 0.003 हे०, 125 रकबा 0.006, 126 रकबा 0.114 हे०
164 रकबा 1.504 हे० 187 रकबा 0.026 हे०, 199 रकबा 0.612 हे० 215 रकबा 0.005 हे०
218 रकबा 0.040 हे०, 234 रकबा 0.011 हे०, 235 रकबा 0.499 हे०, 237 रकबा
0.003 हे०, 245 रकबा 0.277 हे० 251 रकबा 0.116, 267 रकबा 1.123 हे०
268 रकबा 1.097 हे०, 270 रकबा 0.912 हे०, 295 रकबा 0.063 हे०
296 रकबा 0.016 हे०, 297 रकबा 0.003 हे०, 298 रकबा 0.008 हे०
300 रकबा 0.019 हे०, 301 रकबा 0.006 हे०, 302 रकबा 0.008 हे०
303 रकबा 0.096 हे०, 309 रकबा 0.009 हे०, 318 रकबा 0.243 हे०
319 रकबा 0.704 हे०, 321 रकबा 1.510 हे०, 327 रकबा 0.016 हे०,
328 मध्ये रकबा 1.208 हे० कुल 31 खेतों को 10.350 हे०
सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण अंकित
दर्ज किया।

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पत्रांक 546
फाईल नं० 1
दिनांक 30/04/24

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/119/2021/एफ.सी./984 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग निर्माण में आ रही 5.175 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10.350 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग निर्माण में आ रही 5.175 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगू पट्टी बसन्तकोट तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–61 श्रेणी–9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 112 रकवा 0.003 हे0, 116 रकवा 0.003 हे0, 125 रकवा 0.006 हे0, 126 रकवा 0.114 हे0, 164 रकवा 1.504 हे0, 187 रकवा 0.026 हे0, 199 रकवा 0.612 हे0, 215 रकवा 0.005 हे0, 218 रकवा 0.040 हे0, 234 रकवा 0.011 हे0, 235 रकवा 0.499 हे0, 237 रकवा 0.003 हे0, 245 रकवा 0.277 हे0, 257 रकवा 0.116 हे0, 267 रकवा 1.123 हे0, 268 रकवा 1.097 हे0, 270 रकवा 0.912 हे0, 295 रकवा 0.063 हे0, 296 रकवा 0.016 हे0, 297 रकवा 0.003 हे0, 298 रकवा 0.008 हे0, 300 रकवा 0.019 हे0, 301 रकवा 0.006 हे0, 302 रकवा 0.008 हे0, 303 रकवा 0.096 हे0, 309 रकवा 0.009 हे0, 318 रकवा 0.243 हे0, 319 रकवा 0.704 हे0, 321 रकवा 1.510 हे0, 327 रकवा 0.016 हे0, 328 मध्ये रकवा 1.298 हे0 कुल 31 खेतों की 10.350 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, मुनस्यारी स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मार्च, 30, 2024

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1161 /सात–17 /2023–24 दिनांक मार्च 30, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला/मुनस्यारी।
4. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अस्कोट पिथौरागढ़।

AE (धारचूला) / JE(T)

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

दौलाट सेंच्यु MIR

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-12-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6167235700
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/119/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	9846949/-

Amount in Words :Ninety-Eight Lakh Forty-Six Thousand Nine Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896167235700 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-12-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6167235700
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/119/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	9846949/-

Amount in Words :Ninety-Eight Lakh Forty-Six Thousand Nine Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896167235700 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

…te:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated …en after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, in0903710@unionbankofindia.bank

7864935

Executive Engineer
Construction Division, PWD
Askote (Pithoragarh)
Code No. 1883

SBI अस्कोट पिथौरागढ़ 0597
ASKOTE PITHORAGARH
12 MAR 2024
SUMIT JAIN
MAKER P.F.No. 8442358

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रौंथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

JE

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अस्कोट)

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ)